पुश्न

- पृथक तूची में दिये गये पृश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे ।
 विशेष उल्लेख
- 2. सदस्यों द्वारा पृथक सूची में दिये गये मामलों का उल्लेख किया जायेगा । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- 3. श्री गौरी शंकर भारद्वाज मुख्य मंत्री का ध्यान सरस्वती विहार, बैंक विहार इत्यादि कालो नियों में 66 हूंच तथा अन्य सिवर लाईनों के अचानक बैठने के कारण गंदा पानी घरों में धुसने तथा बीमारी पैदा होने की आशंका से उत्पन्न स्थिति की अर आकर्षित करेंगे।
 - * गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प
- 4. श्री बौध राज द्वारा दिनांक २४. ३. १९९५ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा:-
 - " यह सदन भारत सरकार ते िकारिश करता है कि नियमों तथा उप-नियमों में संशोधन कर के दिल्ली में स्थित सभी भवनों में तीसरा तल बनाने का प्रावधान करें।"
- 5. श्री फतेह सिंह द्वारा दिनांक २५. ३. १९९५ को पृष्टता निम्नलिखित संकल्प पर आगे। चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से माँग करता है कि 857 अनिध्कृत बह्तियों को नियमित करने के औपचारिक आदेश तुरन्त लागू करें।"

संशोधन

- १।१ श्री मुकेश शर्मा
- १०१ संख्या ८५७ के स्थान पर 1053 पढ़ा जाए।
- §ख् इस तंकल्प के अंत में निम्नलिखित पंक्तियों को भी जोड़ा जाए -

" और दिल्ली सरकार नियमन के लिए केन्द्र द्वारा पांगी नई सभी तकनीकी जानकारियां तुरन्त केन्द्र सरकार को भेजे व विकास शुल्क की दर वही निर्धारित की जाये जो 1977 में केन्द्र सरकार ने तय की थी ।"

§ग
§
"और नियमन से पूर्व उन सभी बहितयों में विजली के अस्थाई कनैकान खोलने के आदेश किए जाए ।"

अप्रिक्षा शर्मा द्वारा दिनांक 31.3.1995 को प्रस्तृत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा:-

"यह सदन संकल्प करता है कि भूषि अधिगृहण के नोटिस जारी करने से पूर्व जमीन का मुआयना किया जाए और मौके पर जमीन खाली होने की स्थिति में हो भूषि अधिगृहण के नोटिस जारी किए जाय।"

7. श्री राजेन्द्र गुप्ता १मालवीय नगर१ दिनांक 31.3.1995 को प्रस्तृत निम्नलिखित संकृत्य पर आगे चर्चा:-

"यह सदन संकल्प करता है कि समयबद्ध ढंग से सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयंन को सुनिष्चित करने तथा सड़कों के रख-रखाव के प्रति एक समन्वशात्मक दृष्टिटकोण अपनाने की दृष्टित से स्लम बोर्ड की ही भांति एक दिल्ली सड़क बोर्ड बनाया जाय जिसका पृगति संबंधी प्रतिवेदन मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक छः माह के अंतराल से सदन में रखा जाय "

मूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य देन भातन अधिनियम, 1991 की धारा 22 के अंतर्गत उपराज्यपाल की तंस्तृति अभी तक प्रतिक्षित है इसलिए 8 अप्रैल, 1994 को जिन तीन विधेयकों को पुरःथापित किया गया था तथा चालू तत्र के दौरान जिन दौ नये विधेयकों की सूचनाएं प्रस्तृत हुई है उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है। (सुन्ते स्विन है)

पी. एन. गुप्ता तचिव

DELHI VIDHAN SABHA LIST OF BUSINESS

Friday, April 07, 1995/Chaitra 17, 1917 (Saka)

2.00 P...

QUESTIONS

 Questions entered in a separate list to be asked and answers given.

SPECIAL MENTION

2. Matters to be raised by Members given in a separate

CALLING ATTENTION

3. Shri Gauri Shankar Bhardwaj to call the attention of Chief Minister to the situation arising out of sudden bursting of 66" and other sewer lines in Saraswati Vihar and Bank Vihar etc. resulting in entry of sewage water in Houses and threat of epidemic.

* PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

- Further discussion on the following resolution moved by Shri Bodh Raj on 24 March, 1995:-
 - "That this House recommends to the Govt.

 of India that by amending Laws and
 Bye-laws, a provision be made to allow
 construction of third floor in all
 building situated in Delhi."
- 5. Further discussion on the following resolution moved by Shri Fateh Singh on 24th March, 1995:-
 - "That this House demands that Formal orders of regularising 857 unauthorised colonies be issued by Govt. of India immediately."

AMENDMENTS

- (1) Shri Mukesh Sharma
- a) In place of figure 857 the figure 1053 may be read.
- b) The following lines be added in the end of the resolution:-

"and for regularisation the Delhi Govt. may furnish all technical information asked by the Central Govt. immediately and the rate of development charges be fixed which was fixed by Central Govt. in 1997.

c) Prior to regularisation orders be given to provide temporary electricity connections in all colonies.

- Further discussion on the following resolution moved by Shri Mukesh Sharma on 31 March, 1995:-
 - "That this House resolves that before issuance of notices of land acquisition the land be inspected and notices issued only if the land is found to be vacant at the spot.
- 7. Further discussion on the following resolution moved by Shri Rajendra Gupta(Maliya Nagar) cn 31st March, 1995 :-
 - "This House resolves that or ensuring time bound implementation o various projects and to adopt and co-ordinate unified approach towards maintenance of roads, a Delhi Road Board on the lines of Delhi Slum Board be set up. Progress Report of this be presented in the House by Chief Minister after an interval of six months in a year."
 - * The Three Private Members' Bills which were introduced on O3th April,1994 and two new Bills for which notice was received curing the current session have not been listed as the recommendations of the Hon'ble Lt. Governor is still awaited under section 22 of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.(list enclosed).

P.N. GUPTA SECRETARY